न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–87/2015/टोंक (2015/00022)

1. चौथमल पुत्र उददा, जाति गुर्जर, निवासी ठीकरिया पंचायत झुण्डवा, तहसील उनियारा, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. गोरा उर्फ कन्या पुत्री रामनिवास, जाति गूर्जर, निवासी ठीकरिया, तहसील उनियारा, जिला टोंक हाल धर्मपत्नि श्योनारायण, निवासी ग्राम बांडपुरा, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर ।
2. शंकर पुत्र छोटू, जाति गूजर, नि0 ठीकरिया, तह0 उनियारा, जिला टोंक।
3. ग्राम पंचायत झुण्डवा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, झुण्डवा, तहसील उनियारा, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा, जिला टोंक दिनांक 17.6.2015 .

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांक :– 8.2.2018

अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, उनियारा, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 17.6.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 गोरा ने अधी0न्याया0 में नामांतकरण संख्या 22 दिनांक 8.5.1964 के विरूद्ध प्रथम अपील इस आशय की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी में रेस्पो0 संख्या 1 के पिता रामनिवास पुत्र उददा का 1/3 हिस्सा था किन्तु रामनिवास की मृत्यु के बाद रामनिवास की विरासत का नामांतकरण केवल मात्र रामनिवास के भाई छोटू व चौथमल के नाम भर दिया तथा रामनिवास लाऔलाद फौत होना बताया जाकर अधी0न्याया0 ने दिनांक 17. 6.2015 को निर्णय पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर

नामांतकरण संख्या 22 दिनांक 8.5.1964 को निरस्त कर रामनिवास के हिस्से की आराजियात का नामांतकरण गोरा उर्फ कन्या के नाम भरे जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय एकतरफा में पारित किया है तथा अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को कोई विधिवत् रूप से नोटिस जारी नहीं किया गया है जो जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली दिनांक 20.3.2015 को रेस्पोडेंटस (वर्तमान अपीलांट) की तलबी हेतु नियत थी एवं तब तक अपीलांट की कोई तामील नहीं हुई थी परन्तु इसके पश्चात् प्रकरण को दिनांक 17.6.2015 को लोक अदालत में रख दिया एवं लोक अदालत की आदेशिका में यह अंकित करते हुए कि अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 ने राजीनामा करने से इंकार किया एवं रेस्पो0 नंबर 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया तथा ग्राम पंचायत के सरपंच व शंकर ने माना कि गोरा, रामनिवास की पुत्री है एवं इसी के आधार पर अधी0न्याया0 ने अपना निर्णय पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट को न तो अदल सेवा केन्द्र का नोटिस मिला और ना ही अपीलांट अटल सेवा केन्द्र पर उपस्थित ही हुआ था इसलिये अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजीनामा किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 22 दिनांक 8.5.1964 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील भारी मियाद बाहर पेश की गई थी किन्तु अधी0न्याया0 ने मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0 संख्या 1 गोरा रामनिवास की पुत्री साबित हो । रामनिवास की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के आने से पूर्व होने से रेस्पो0 संख्या 1 को, पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार भी विवाहित पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत झुण्डवा ने नामांतकरण संख्या 22 तस्दीक करते समय हल्का पंचों से तस्दीक में पाया कि रामनिवास के कोई औलाद नहीं है तथा उसके छोटे भाई छोटू व चौथमल ही हकदार है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 गोरा को रामनिवास की पुत्री होना मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है जो निरस्तनीय है । अतः अपील

अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 17.6.2015 को अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 के पिता का 1/3 हिस्सा था तथा रेस्पो0 संख्या 1 गोरा रामनिवास की पुत्री होने से उसके नाम नामांतकरण तस्दीक करने संबंधी आदेश विधिसम्मत् है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1955 के प्रावधानों के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 मृतक रामनिवास की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है जिसे उसके हक एवं अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ने गलत रिपोर्ट के आधार पर नामांतकरण संख्या 22 तस्दीक किया है। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 को रामनिवास की पुत्री होना स्वीकार कर राजीनामा किया है तथा पूर्व एवं वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत, झुण्डवा ने रेस्पो0 संख्या 1 को रामनिवास की पुत्री होना माना है । विद्वान अधी0न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 22 दिनांक 8.6.1964 के विरूद्ध दिनांक 8.5.2014 को अपील प्रस्तुत की जो निश्चित रूप से लगभग 50 वर्षो के भारी विलंब के उपरांत प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अपीलांट का मुख्य रूप से यह ऐतराज रहा है कि अधी0न्याया0 ने इतने भारी वर्षो के विलंब के संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना चाहिये तथा विलंब के संतोषप्रद एवं उचित कारण पाये जाने के उपरांत ही प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अधी0न्याया0 में प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में 50 वर्ष की लम्बी विलंब अवधि के क्रम में कोई यथोचित कारण अंकित नहीं किये है तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि इतने लम्बे समय पश्चात् प्रश्नगत् भूमि बाबत् अब अपील क्यों की जा रही है । इस संबंध में हम अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता के उक्त कथन से सहमत है कि अधी0न्याया0 को 50 वर्षो के भारी विलंब के पश्चात् प्रस्तुत अपील में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू को निर्णित करना चाहिये था तथा मियाद के संतोषप्रद एवं उचित कारण पाये जाने पर ही प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में मियाद

बिन्दू को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

6- इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह आधार लिया है कि रेस्पो0 संख्या 2 शंकर के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है । पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, झुण्डवा, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत, झुण्डवा तथा उपस्थित चौथमल व शंकर ने भी माना है कि गोरा रामनिवास की पुत्री है जबकि इसके विपरीत अपीलांट ने अपीलमीमों में एवं दौराने बहस कथन किया है अपीलांट को अपील एवं प्रकरण को अटल सेवा केन्द्र लोक अदालत में रखे जाने के नोटिस की कभी भी तामील नहीं हुई एवं ना ही अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष लोक अदालत में हाजिर ही हुआ था तो फिर अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट के राजीनामे से इंकार करना एवं रेस्पो0 संख्या 1 गोरा को रामनिवास की पुत्री मानने के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय में लिया गया निष्कर्ष भी गलत है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.3. 2015 को पत्रावली रेस्पो0 संख्या 3 की तलबी हेतु नियत होकर आगामी दिनांक 8.5.2015 नियत की गई थी किन्तु पत्रावली दिनांक 8.5.2015 के स्थान पर दिनांक 17.6.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्रा0प0 झुण्डवा पर प्रस्तुत हुई । उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखे जाने के संबंध में अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना दिये जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई नोटिस उपलब्ध नही है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट को प्रकरण के लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में कोई सूचना रही हो ।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, झुण्डवा ने नामांतकरण संख्या 22 दिनांक 8.6.1964 को पारित करते समय यह अंकित किया है कि " नामांतकरण पेश हुआ मृतक रामनिवास के वारिसों के बारे में हल्का पंच से तस्दीक की गई तो प्रकट किया की उसके कोई औलाद नहीं है। उसके छोटे भाई छोटू व चौथमल ही हकदार है जिसको मौजूदा कोरम ने स्वीकार किया । अतः हमराय कोरम रखता है कि मृतक रामनिवास की बजाय छोटू व चौथमल पि0 उदा गूजर ही बराबर स्वीकार किया जाता है । कागजात पटवार में अमल हो । " नामांतकरण संख्या 22 के उक्त अंकन से स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण तस्दीक करते समय ग्राम पंचों से तस्दीक में यह पाया गया है कि रामनिवास के कोई जांयदा संतान नहीं थी जबकि इसके विपरीत अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय पारित करते समय पूर्व एवं वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत, झुण्डवा द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 गोरा को मृतक रामनिवास की पुत्री होना बताया गया है जो परस्पर विरोधाभासी है । अधी0न्याया0 के समक्ष परस्पर विरोधाभास की स्थिति में अधी0न्याया0 को रेस्पो0 संख्या 1 गोरा का रामनिवास की पुत्री होने के संबंध में पक्षकारान के समाज एवं ग्राम के मौतबिरान व्यक्तियों, पंचों आदि के बयान लेकर तथा रामनिवास की पुत्री होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य लेने के उपरांत ही निर्णय पारित करना चाहिये किन्तु

अधी0न्याया0 ने मियाद के बिन्दू को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 17.6.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 87/2015 (2015/00022) बउनवानी चौथमल बनाम गोरा को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के निर्णय दिनांक 17.6.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये ऑब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष 50 वर्षो के भारी विलंब से प्रस्तुत अपील में सर्वप्रथम मियाद बिन्दू को निर्णित करे तथा विलंब समुचित कारणों से क्षम्य किये जाने की स्थिति में प्रकरण में गुणावगुण पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 8.2.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर